बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

पत्रांक – वि० प्रा० (I) व^{2}–06 / 2013–   पटना, दिनांक –

राज्य के सभी राजकीय पोलिटेकनिक / सभी राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के विभिन्न संकायों में व्याख्याता के रिक्त 476 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना प्रेषित की गई है। आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस कारण विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत सभी राजकीय पोलिटेकनिक / सभी राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में आदेश संख्या–2916 दिनांक–28.10.2013, 2918 दिनांक–28.10.2013 द्वारा संविदा के आधार पर विभिन्न संकायों में व्याख्याता को नियोजित किया गया था। नीचे उल्लेखित व्याख्याताओं की संविदा की अवधि एक वर्ष समाप्त हो गई थी। उल्लिखित नियोजित व्याख्याताओं द्वारा सेवा अवधि विस्तार हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। इनके अभ्यावेदन के आलोक में पूर्व में नियोजित निम्न व्याख्याताओं को एक वर्ष अथवा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति होने तक जो पहले हो तक के लिए पूर्व में विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय पर स्तम्भ–4 में उल्लिखित संस्थान के लिए चयन किया जाता है :–

क्रमांक	अभ्यर्थियों का नाम	पदनाम एवं संकाय का नाम	संस्थान का नाम
1	2	3	4
1.	श्री शिव प्रकाश कुमार	व्याख्याता, इलेक्ट्रॉनिक्स	नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13
2.	श्री सुनीश चन्द्रा	व्याख्याता, इलेक्ट्रॉनिक्स	नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13
3.	श्री सुशील कुमार गौतम	व्याख्याता, असैनिक	नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13
4.	श्री नागेन्द्र प्रसाद	व्याख्याता, गणित	राजकीय पोलिटेकनिक, भागलपुर, प्रतिनियुक्त नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13 में
5.	श्री पप्पू पासवान	व्याख्याता, भौतिकी	राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा
6.	श्री सुमन कुमार	व्याख्याता, असैनिक	राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा
7.	श्री सुशान्त कुमार	व्याख्याता, यांत्रिक	राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा
8.	श्री दुर्गेश कुमार प्रसाद	व्याख्याता, यांत्रिक	राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज
9.	श्री सुभाषचन्द्र सिंह	व्याख्याता, असैनिक	राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज

2. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी संलग्न विहित एकरारनामा प्रपत्र में संबंधित संस्थान के प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य से अनुबंध करेंगे।

3. एकरारनामा की तिथि ही संबंधित अभ्यर्थियों की योगदान की तिथि ही मानी जायेगी।

4. एकारारनामा में अनुबंध करने के पूर्व संबंधित प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य अभ्यर्थियों की धारित अर्हता एवं अधिकतम आयु सीमा की जाँच अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

5. आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर संबंधित अभ्यर्थी निश्चित रूप से एकरारनामा में संबंधित प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य से अनुबंध कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा इनकी दावेदारी समाप्त समझी जायेगी।

P.T.O.

6. उपर्युक्त अभ्यर्थियों में से जिनकी प्रतिनियुक्ति पूर्व में अन्य संस्थानों में थी, उनकी प्रतिनियुक्ति पूर्व की भाँति ही संबंधित संस्थान में बनी रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

अनु०–एकरारनामा का विहित प्रपत्र।

ह०/–
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) व^{2}–06/2013– 561 **पटना, दिनांक –** 10/3/2015

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/राजकीय पोलिटेकनिक /राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं उप कोषागार पदाधिकारी/विभाग के सभी पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–II (बजट)/संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विभागीय आई० प्रबंधक को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.03.15
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

10/3/15